

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 902 / 2014

संस्थित दि: 29 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

सुरेन्द्र टेकाम पिता फागुसिंह उर्फ दोवार जाति गोंड,  
निवासी कुडेला थाना मौतीनाला जिला मण्डला (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उर्पापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 13 / 10 / 2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कुमारी सुन्ति मेरावी ने दिनांक 08.09.2014 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 07.09.2014 को दिन के लगभग 10:00 बजे उसके घर के बाहर अकेली खड़ी थी आरोपी सुरेन्द्र आया और बोला कि पानी पिलाओ और घर में बैठ गया उसने घर से बाहर जाने के लिए बोला तो घर का दरवाजा बंद कर उसका मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया और गर्दन दबाकर बोला कि चिल्लाई तो जान से मार दूंगा और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जिससे वह बेहोश गयी उसकी मां आयी तो आरोपी पीछे के दरवाजे भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 69 / 14 अन्तर्गत धारा 452, 376, 506 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 376, 506 के तहत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया ।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर धारा 452, 376, 506 भा.दं. वि. का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश

महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- (06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0स0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।
- (08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक **27.10.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)